मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 6 सितंबर 2022

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खंड	विषयवस्तु	पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1
II.	विनियम	2
III.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
IV.	मुद्रा प्रबंधन	3
V.	वित्तीय बाजार	3
VI.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	3
VII.	भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रकाशन	3
VIII.	भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन	4
IX.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 30 सितंबर 2022 अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत कर दिया जाए।

परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.15 प्रतिशत हो गई है।

- एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

ये निर्णय, संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन और पर्यवेक्षण; और (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

1) बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र:

बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए उपगत हानि दृष्टिकोण की अपर्याप्तता और इसकी प्रचक्रीयता को व्यापक रूप से प्रलेखित किया गया है। इन निष्कर्षों पर वैश्विक प्रतिक्रिया के प्रमुख तत्वों में से, प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) व्यवस्था में अंतरण रहा है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत विवेकपूर्ण मानदंडों के साथ अभिसरण की दिशा में एक और कदम के रूप में, बैंकों द्वारा अपने एक्सपोजर के लिए आवश्यक हानि प्रावधान हेतु अपेक्षित हानि दृष्टिकोण को अपनाने का प्रस्ताव है। पहले चरण के रूप में, परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा पत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

2) दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण ढांचा (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र:

बाजार की प्रतिक्रिया, हितधारक परामर्श और कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर कार्य बल (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2019) की सिफारिशों के आधार पर, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एआरसी मार्ग के अलावा मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण ढांचे के समान एक ढांचा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार, प्रस्तावित ढांचे की प्रासंगिक रूपरेखा का विवरण देते हुए एक चर्चा पत्र (डीपी) कुछ विशिष्ट पहलुओं पर टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा:

कुछ वित्तीय और गैर-वित्तीय मानदंडों को पूरा करने के अधीन, आरआरबी को वर्तमान में भारतीय रिज़र्व के पूर्व अनुमोदन से अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आरआरबी को इंटरनेट बैंकिंग प्रदान करने के पात्रता मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है और दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

4) ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स को विनियमित करना

भुगतान एग्रीगेटर (पीए) भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए उन्हें विनियमों के अधीन लाया गया था और भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के रूप में नामित किया गया था। वर्तमान विनियम, केवल ऑनलाइन या ई-कॉमर्स लेनदेन को प्रोसेस करने वाले पीए पर लागू होते हैं और इसमें ऑफ़लाइन पीए शामिल नहीं हैं जो निकट/ भौतिक लेनदेन करते हैं। वर्तमान विनियमों को ऑफलाइन पीए पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियम

बैंक दर में परिवर्तन

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 में घोषित किए अनुसार रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2022 को, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.65 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में रिज़र्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीएएफ) के तहत है, के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई। रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2022 को निर्णय लिया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कतिपय शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन पीसीए प्रतिबंधों से बाहर कर दिया जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 सितंबर 2022 को यह दोहराया कि एक उधार सेवा प्रदाता (एलएसपी)/ डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) के साथ विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा दर्ज की गई आउटसोर्सिंग व्यवस्था आरई के दायित्वों को कम नहीं करती है और वे आउटसोर्सिंग पर मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे। रिज़र्व बैंक ने तत्काल कार्यान्वयन के लिए 'डिजिटल लेंडिंग-कार्यान्वयन' पर कार्य समूह की सिफारिशों पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। आरई को सूचित किया जाता है कि वे इन दिशानिर्देशों का अनुपालन उनके द्वारा नियुक्त एलएसपी और डीएलए (आरई या आरई द्वारा नियुक्त एलएसपी के) द्वारा सुनिश्चित करें। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मुख्य अनुपालन अधिकारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 सितंबर 2022 को शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य के लिए कतिपय सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं को आरंभ करने का निर्णय लिया है, जो सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी)2 के तहत आने वाले शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर टियर 3 और टियर 4 श्रेणियों के तहत आने वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगा। टियर 4 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शहरी सहकारी बैंक 1 अप्रैल 2023 तक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति सहित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और अनुपालन कार्य को लागू करेंगे। टियर 3 श्रेणी के तहत आने वाले शहरी सहकारी बैंक 1 अक्तूबर 2023 तक इसे लागू करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

लाइसेंस को रद्द करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 सितंबर 2022 को "दी लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र" का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक ने 22 सितंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है। बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में परिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार, जिसमें अन्य बातों के अलावा जमाराशियों को स्वीकार करने और जमाराशियों की चुकौती करना शामिल हैं, करने से प्रतिबंधित किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा

बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), कम आय वाले आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफ़टीएलआईएच) और व्यक्तिगत योजनाएं जो राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के अंतर्गत प्रारंभ की गयी हो, के दावों के संबंध में शून्य प्रतिशत जोखिम भार लागू करने की अनुमति है।

रिजर्व बैंक ने 7 सितंबर 2022 को सूचित किया कि सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआइएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भावी योजनाओं के तहत गारंटीकृत एक्सपोजर के संबंध में शून्य प्रतिशत का जोखिम भार कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन लागू होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करना

रिज़र्व बैंक ने 8 सितंबर 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईटी देवसी एंड संस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, त्रिशूर, केरल के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को रद्द कर दिया। अतः, उपरोक्त कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

टैब कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई ने 8 सितंबर 2022 को रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सीओआर को अभ्यर्पित कर दिया। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके सीओआर को रद्द कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश

रिजर्व बैंक ने 16 सितंबर 2022 को घोषणा की कि एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की गणना करने के लिए संदर्भ दरों को 31 जनवरी 2022 से फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उद्धृत/प्रदर्शित की जा रही है जिसे पहले फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा उद्धृत/प्रदर्शित किया जाता था। जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश के संबंधित धाराओं को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 सितंबर 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को अगले आदेश तक आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से किसी भी वसूली या पुनर्ग्रहण गतिविधि को तुरंत बंद करने हेतु निदेश दिया है। तथापि, उक्त एनबीएफसी अपने कर्मचारियों के माध्यम से वसूली या पुनर्ग्रहण गतिविधियों को जारी रख सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ऊपरी स्तर में एनबीएफ़सी

रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2022 को एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन के तहत ऊपरी स्तर में एनबीएफसी की सूची की घोषणा की। सूची में उल्लिखित एनबीएफसी, एनबीएफसी-यूएल पर लागू वर्धित विनियामक ढांचे को अपनाने के लिए एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेंगे और 30 सितंबर 2022 से तीन महीने के भीतर नियमों के नए सेट का पालन करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा, इन एनबीएफसी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि एनबीएफसी-यूएल के लिए निर्धारित शर्तों का 30 सितंबर 2022 से 24 महीने की अधिकतम समयावधि के भीतर पालन किया जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

विनियामक सैंडबॉक्स

रिज़र्व बैंक ने 5 सितंबर 2022 को विनियामक सैंडबॉक्स के तहत 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा के 'परीक्षण चरण' के लिए दो संस्थाओं अर्थात्, एचडीएफसी बैंक और प्रिसिजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 5 सितंबर 2022 को घोषणा की कि विनियामक सैंडबॉक्स के तहत 5वें कोहार्ट का विषय तटस्थ होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में शामिल नवोन्मेषी उत्पाद/सेवाएं/प्रौद्योगिकियां आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

IV. मुद्रा प्रबंधन

गैर-तिजोरी शाखाओं के लिए प्रोत्साहन

रिजर्व बैंक ने 6 सितंबर 2022 को गैर-तिजोरी बैंक शाखाओं द्वारा मुद्रा तिजोरियों में जमा की गई नकदी पर लगने वाले सेवा शुल्क पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्नों को स्पष्ट किया। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्रों में दर्शाई गई राशि लागू करों के अतिरिक्त है। तदनुसार, लागू सेवा शुल्क है ₹5 और लागू कर प्रति पैकेट तथा ₹8 और लागू कर प्रति पैकेट, जैसा भी मामला हो। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. वित्तीय बाजार

चलनिधि समायोजन सुविधा

जैसा कि 30 सितंबर 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2022 को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सहमति से, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.40 प्रतिशत से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से क्रमशः 5.65 प्रतिशत और 6.15 प्रतिशत हो गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ़) तत्काल प्रभाव से संशोधित रिपो दर 5.90 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

फेमा के तहत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए शुल्क

रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत निर्णय लिया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए लगाए जाने वाले विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) में एकरूपता लाई जाए। यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रुपया आहरण व्यवस्था

रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली विदेशी आवक विप्रेषण राशियाँ, बिलर (लाभार्थी) के केवाईसी (KYC) समर्थित बैंक खातों में भारत बिल पे सिस्टम (बीबीपीएस) के माध्यम से अंतरित की जा सकती हैं, बशर्ते कि वे शर्तों के अधीन हों। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ऋण व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 सितंबर 2022 को एस्वातीनी में नये संसद भवन के निर्माण हेतु वित्तपोषण के उद्देश्य से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) के करार के अनुसार किंगडम ऑफ़ एस्वातीनी (स्वाज़ीलैंड) को भारत सरकार द्वारा समर्थित 108,280,000 अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश जारी किए। इस करार के तहत यथापरिभाषित पात्र वस्तुओं और सेवाओं का भारत से निर्यात हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2022 को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) के करार के अनुसार रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान की सरकार भारत सरकार द्वारा समर्थित 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश जारी किए। इस करार के तहत यथापरिभाषित पात्र वस्तुओं और सेवाओं का भारत से निर्यात हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति एक्ज़िम बैंक द्वारा इस करार के तहत प्रदान की गयी हो। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

फोरेक्स में संव्यवहार के लिए अप्राधिकृत संस्थाओं की सचेतक सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 सितंबर 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उन संस्थाओं की सचेतक सूची डालने का निर्णय लिया जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत फोरेक्स में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत हैं और न ही फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं, ताकि जनता को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर फोरेक्स में लेनदेन न करने या अनधिकृत फोरेक्स लेनदेन के लिए विप्रेषण/ धन जमा न करने के लिए सचेत किया जा सके। उक्त सचेतक सूची परिपूर्ण नहीं है और यह इस प्रेस प्रकाशनी के समय भारतीय रिज़र्व बैंक को जो जानकारी थी, उस पर आधारित है। सचेतक सूची में दिखाई नहीं देने वाली संस्था को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत नहीं माना जाना चाहिए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रकाशन

आरबीआई वर्किंग पेपर

रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 माह के दौरान अपनी वर्किंग पेपर शृंखला के तहत तीन शोध पत्र प्रकाशित किए।

i) सीमा जायसवाल द्वारा लिखित पहला वर्किंग पेपर 'भारत में विनिमय दर की भविष्यवाणी: एक गैर-पैरामीट्रिक कैजुयलिटी-इन-क्वांटाइल्स दृष्टिकोण शीर्षक से लिखा गया है। यह पेपर आईएनआर/

यूएसडी विनिमय दर, और कच्चे तेल और स्वर्ण की कीमतों, घरेलू और वैश्विक स्टॉक की कीमतों, अस्थिरता सूचकांक(वीआईएक्स) और विभिन्न विदेशी मुद्रा बाजार स्थितियों के अंतर्गत निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बीच संबंधों की जांच करता है। अनुभवजन्य विश्लेषण इंगित करता है कि अधिकांश चुने हुए परिवर्ती, सशर्त वितरण के दो चरम छोर को छोड़कर सभी मात्राओं के लिए आईएनआर की विनिमय दर के साथ कार्य-कारण प्रदर्शित करते हैं। पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ii) दूसरा वर्किंग पेपर का विषय है- 'क्या अंतर्निहित अस्थिरता सूचकांक (वीआईएक्स) भारत में शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव का एक अग्रगामी संकेतक है?', जिसका सह- लेखन अमरेंद्र आचार्य, सुब्रत कुमार सीत और प्रकाश ए. साल्वी ने किया है। यह पेपर पिछले एक दशक में भारत में अंतर्निहित अस्थिरता सूचकांक (वीआईएक्स) और शेयर बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच संबंधों की जांच करता है। यह पाता है कि स्टॉक सूचकांक में नकारात्मक प्रतिफल सकारात्मक प्रतिफल की तुलना में अंतर्निहित अस्थिरता में बड़े बदलाव उत्पन्न करते हैं। पूरा वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

iii) तीसरे वर्किंग पेपर का विषय है- 'एक लचीली विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत मौद्रिक नीति स्वतंत्रता - भारतीय संदर्भ में', जिसका सह- लेखन हरप्रीत सिंह ग्रेवाल और पुष्पा त्रिवेदी ने किया है। यह पेपर मूल्यांकन करता है कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रुपये में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में मध्यक्षेप का, 1991 से 2020 के दौरान भारत की मौद्रिक नीति स्वतंत्रता पर कोई बाधित प्रभाव हुआ है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका (हैंडबुक)

रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2022 को "भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका, 2021-22" (एचबीएस) शीर्षक से अपना वार्षिक प्रकाशन जारी किया। यह प्रकाशन, शृंखला में 24वां, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मुख्य आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर समय शृंखला डाटा प्रसारित करता है। वर्तमान अंक में 237 सांख्यिकीय तालिकाएँ शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय आय समुच्चय, उत्पादन, मूल्य, धन, बैंकिंग, वित्तीय बाज़ार, सार्वजनिक वित्त, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन के साथ चुनिंदा सामाजिक-आर्थिक संकेतक शामिल हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन – सितंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 सितंबर 2022 को अपने मासिक बुलेटिन का सितंबर 2022 अंक जारी किया। बुलेटिन में चार भाषण, तीन आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

ये तीन आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. इनपुट कीमतों के प्रति आउटपुट कीमतों की संवेदनशीलता: भारत के लिए एक अनुभवजन्य विश्लेषण; और III. भारतीय राज्यों में आर्थिक गतिविधि पर कोविड-19 का प्रभाव।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में वृद्धि की गति में मामूली कमी को निकाल फेंकने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था तैयार है। कुल मांग मजबूत है और त्यौहारी मौसम शुरू होने के साथ-साथ इसके और बढ़ने की संभावना है। घरेलू वित्तीय स्थितियां वृद्धि के आवेगों में सहायता कर रही हैं। मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है और सहनशीलता के स्तर से ऊपर है, जो मौद्रिक नीति के लिए अप्रत्यक्ष प्रभावों को नियंत्रित रखने और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को सुदृढ़ता से स्थिर रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

II. इनपुट कीमतों के प्रति आउटपुट कीमतों की संवेदनशीलता: भारत के लिए एक अनुभवजन्य विश्लेषण

यह आलेख लागत-जन्य दबावों के अप्रत्यक्ष प्रभावों का आकलन करने के लिए इनपुट कीमतों से आउटपुट कीमतों तक अंतरण के स्वरूप की व्याख्या करता है। यूरोप में महामारी की बारंबार लहरों और युद्ध के बाद इनपुट कीमतों में व्यापक आधार वाली वृद्धि देखी गई है। इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी के कारण आउटपुट कीमतों में आनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं होने के कारण, इनपुट और आउटपुट कीमतों के बीच अंतराल बढ़ गया है।

III. भारतीय राज्यों में आर्थिक गतिविधि पर कोविड-19 का प्रभाव

यह आलेख राज्य स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में रुझानों का पता लगाने के लिए प्रमुख संकेतकों को लेकर एक समग्र सूचकांक बनाता है और विश्लेषण करता है कि महामारी के दौरान आवाजाही में प्रतिबंधों के समय आर्थिक गतिविधि कैसी रही। यह आलेख पाता है कि महामारी के दौरान सभी राज्यों में आवाजाही के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध में काफी फर्क था। साथ ही, जो राज्य कृषि, वानिकी और लकड़ी के कारोबार (लॉगिंग) पर अधिक निर्भर हैं, उनमें आर्थिक गतिविधियों पर आवाजाही प्रतिबंधों का अपेक्षाकृत मामूली प्रभाव देखा गया। हालांकि, अपने राज्य योजित सकल मूल्य में विनिर्माण और सेवाओं की उच्च हिस्सेदारी वाले राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव देखा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. जारी आंकड़े

सितंबर 2022 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	शीर्षक
1.	सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात: 2021-22
2.	भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका: 2021-22
3.	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश: अगस्त 2022
4.	गैर-सरकारी गैर-वित्तीय प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का वित्त: 2020-21
5.	गैर-सरकारी गैर-वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त: 2020-21
6.	भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संस्थाओं की विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों संबंधी गणना: 2021-22
7.	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंपनियों का वित्त: 2020-21
8.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें: सितंबर 2022
9.	भारत का बाह्य ऋण: जून 2022
10.	भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति: जून 2022
11.	पूर्वानुमान सर्वेक्षण के परिणाम

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।